राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सीकर

Email: Principal.mc.sikar@rajasthan.gov.in

दिनांक :– 15-02-2020

क्रमांक : मेडि.कॉलेज / सामान्य / 2020 / 240

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय विज्ञप्ति क्रमांक SKMC/GEN/2020/170 दिनांक 31/01/2020 के अनुसरण में प्रस्तुत किये गये आवेदनों के तहत श्री कल्याण राजकीय मेडिकल सीकर कॉलेज हेतु अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर विभिन्न पदों के लिए दिनांक 05-02-2020 को आयोजित साक्षात्कार (Walk -In -Interview) में से चयनित तथा इस कार्यालय द्वारा निदेशक, राजमेस को लिखे पत्रांक मेडि. कॉलेज / सामान्य / 2020 / 210 दिनांक 06–02–2020 तथा निदेशक, राजमेस के पत्र क्रमांक F1(26)RajMES/Estt./UTB Faculty/Sikar/2017/449 dated 14-02-2020 की अनुपालना में निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके नाम के समक्ष अंकित पद पर एवं नीचे अंकित शर्तो पर एतद् द्वारा आवश्यक / अस्थाई (यू.टी.बी.) के आधार पर श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज, सीकर में 6 माह अथवा नियमित चिकित्सक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो तक नियुक्ति प्रदान की जाती है।

S.No.	Candidate Name	DOB	Subject	Designation
1	Dr.Smriti Bhargav	19-07-1982	Obst. & Gyne	Assistant professor

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगी :–

1. उपरोक्त नियुक्ति 6 माह अथवा नियमित चिकित्सक शिक्षक उपलब्ध होने जो भी पहले उपलब्ध हो तक यू.टी.बी. आधार पर होगी।
2. एम.सी.आई. द्वारा अयोग्य / अमान्य घोषित किये जाने पर इनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
3. अभ्यार्थी को कार्यग्रहण के समय पूर्व नियुक्ति अधिकारी से कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा।
4. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों पर राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसाइटी पर्सनल (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अंदर कन्डीश एम्प्लाएमेन्ट रूल्स, 2017 राजमेस पत्रांक प1(79)DME/Estt/2017/Part-II/2759 dated 02-12-2019 लागू होगें।
5. उपरोक्त अभ्यार्थी को नियुक्ति आदेश की दिनांक से 7 दिवस में अपनी उपस्थिति प्राचार्य एवं नियंत्रक श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज, सीकर के यहां प्रस्तुत करनी होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया का आगामी दिवसों में निरीक्षण संभावित है। अतः कार्यग्रहण काल में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। 7 दिवस में कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।
6. उपरोक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से एक माह के अन्दर अपने पूर्वाचरण के सम्बन्ध में अपने अंतिम शैक्षणिक महाविद्यालय से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र के साथ ही दो प्रतिष्ठित नागरिकों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे साथ ही पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही अभ्यार्थी का मेडिकल परीक्षण मेडिकल कॉलेज के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से करवाकर एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यार्थी के द्वारा यदि एक माह में उपरोक्तानुसार चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते है अथवा उसका चरित्र अथवा मेडिकल परीक्षण नियोजन के उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवाऐं बिना कोई नोटिस दिए समाप्त किये जाने के योग्य होगी।
8. अभ्यार्थी कार्य ग्रहण के समय इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा सोसायटी में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया गया है तथा उसने शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए दिनांक 01 / 08 / 2019 को या उसके बाद MCI निरीक्षण में कही भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है व उसे नियुक्ति की सभी शर्तें मान्य है।
9. अभ्यार्थी को राजतेस के नियमानुसार निर्धारित पारिश्रमिक देय होगा।
10. अभ्यार्थी के सभी शैक्षणिक / कार्यानुभव / एकेडमिक / पब्लिकेशन / जन्मतिथि / आरक्षण जाति के प्रमाण–पत्रों से मेडिकल कॉलेज सीकर द्वारा ड्यूटी ज्वाईन करते समय किया जावेगा।
11. कार्यग्रहण स्थल पर जाने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ. के के वर्मा)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज , सीकर

दिनांक :– 15-02-2020

क्रमांक : मेडि.कॉलेज / सामान्य / 2020 / 240

प्रतिलिपि :-निम्न को सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् शासन सचिव , चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक राजमेस, जयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, मेडिकल कॉलेज, सीकर।
5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
6. स्थापना शाखा मेडिकल कॉलेज, सीकर ।
7. लेखा शाखा मेडिकल कॉलेज, सीकर।
8. नोडल अधिकारी, वेब–साईट ।
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. के के वर्मा)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज , सीकर